


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलक्टर धोरीमन्ना-बाड़मेर

उनवान: श्रवण कुमार बनाम अमृताराम

प्रा0पत्रसं0 42/2025

GCMS NO 2025/ 86


किस्म मुकदमा:- राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज आदेशिका	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए।
18.03.2025	<p>प्रार्थी के वकील श्री रामस्वरूप विशनोई ने यह राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा-251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जो बाद जांच दर्ज होकर दर्ज रजिस्टर हो। तहसील कार्यालय में तामिल कुनिदा का पद रिक्त होने से प्रार्थी वकील विप्रार्थीगण के नोटिस रजिस्टर्ड एडी प्रस्तुत करे। पत्रावली विप्रार्थीगण की तलबी का इंतजार होकर आईन्दा दिनांक 08.04.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> (भागीरथशर्म) सहायक कलक्टर धोरीमन्ना</p>	
8/4/25	<p>पत्रावली पेश हुई। अज हम दीगर आवश्यक कार्यों में व्यस्त है। अतः इत्तवा हांकर पत्रावली आइन्दा... 9.5.25 को पेश हो।</p>	
9.5.25	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपर। पत्रावली विप्रार्थीगण तलबी का इंतजार होकर 01.07.2025 को पेश हो।</p>	
01.7.25	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील अनुपस्थित। प्रार्थी स्वयं अनुपस्थित। आज न्यायालय सभ में प्रार्थी व प्रार्थी वकील को प्रलग-2 सभ में रक रक कर तीन छार 'आवाज दिलवाई गई लेकिन कोई उपस्थित नहीं' इसका तात्पर्य प्रार्थी स्वयं व प्रार्थी वकील उक्त प्रार्थना-पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अतः राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा आदेश 9 नियम 2 व 3</p>	



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज आदेशिका	नम्बर व ता अहकाम जो हु हुकम की तारीख जारी हुए।
------------	---	---

के तहत आवेदन के अदम हाजरी
व अदम पैरवी में खारिज किया
जाता है/ फावली बाखिल दफ्तर है।


सहायक कलेक्टर
SDO धोरीमना